

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग—6

विषय:— महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2011

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-46(एक)/2011/5629, दिनांक 23.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की घारा—37(2) के अधीन राजनाथ महाविद्यालय, शुकुलपट्टी, काठतरांव, मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है—

- संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या—सम्ब0 224(1) / सत्तर—6—2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- प्रबन्धक, राजनाथ महाविद्यालय, शुकुलपट्टी, काठतरांव, मऊ।
- निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
- गार्ड फाइल।

३१५भानुमुक्ते

प्रबन्धक
राजनाथ शिक्षा सेवा समिति
घृ. काठतरांव—मऊ।

आज्ञा से,
इन्द्रदेव पटेल
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।